

न्यायालय सिविल जज सी० डि०/फास्ट ट्रैक कोर्ट, कानपुर देहात।

वाद सं०-291/2011

CNR NO.- UPRN05-001686-2011

उपस्थित – श्री भगत सिंह, (उ० प्र० न्यायिक सेवा)

ID No.-UP2118

1. राम नारायान उम्र लगभग 57 वर्ष बालिग पुत्र स्व० राम गोपाल
2. श्रीमती नारायनी देवी उम्र लगभग 50 वर्ष बालिग पत्नी श्री राम नारायन

निवासी उक्त सभी ग्राम बहरमापुर पो० शिराजपुर परगना व तहसील बिल्हौर, जिला कानपुर देहात।

.....वादीगण।

बनाम

1. लक्ष्मी नारायन (मृतक) उम्र लगभग 45 वर्ष बालिग पुत्र स्व० ईश्वरी
2. विजय कुमार उम्र लगभग 49 वर्ष बालिग पुत्र स्व० गेंदनलाल
3. दिवारीलाल उम्र लगभग 45 वर्ष पुत्र विजय सिंह

निवासी- उपरोक्त सभी ग्राम- बहरमापुर, पो०- शिवराजपुर, परगना व तहसील- बिल्हौर,

जिला कानपुर देहात।

- 1/1. श्रीमती सत्यवती उर्फ रामजानकी बालिग पत्नी स्व० लक्ष्मी नारायन
- 1/2. पवन कुमार उर्फ प्रमोद बालिग पुत्र स्व० लक्ष्मी नारायन
- 1/3. कमल कुमार बालिग पुत्र स्व० लक्ष्मी नारायन
- 1/4. बाबुल उर्फ सोनू बालिग पुत्र स्व० लक्ष्मी नारायन
- 1/5. सूर्य प्रकाश बालिग बालिग पुत्र स्व० लक्ष्मी नारायन
- 1/6. श्रीमती मधू बालिग पुत्री स्व० लक्ष्मी नारायन
- 1/7. श्रीमती वन्दना बालिग पुत्री स्व० लक्ष्मी नारायन
- 1/8. श्रीमती सावित्री बालिग पुत्री स्व० लक्ष्मी नारायन

सभी निवासी ग्राम - बहरमापुर, पो०- शिवराजपुर, परगना व तहसील- बिल्हौर, जिला कानपुर देहात।

.....प्रतिवादीगण।

निर्णय

प्रस्तुत वाद वादीगण के द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति मकान जिसका विवरण वाद पत्र के अन्त में अनुसूची "अ" में दी गयी है, पर प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री एवं प्रतिवादी सं० 0- 1 व 2 द्वारा प्रश्नगत संपत्ति आराजी सं० 113 मि० रकबा 0.2050 हे० पर तथाकथित दौरान वाद अवैध रूप से किये गये कब्जे को हटाकर वादीगण को कब्जा दिलाये जाने हेतु योजित किया गया है।

वादीगण का संक्षेप में कथन है कि वादीगण भूमिधरी आराजी सं० 113 मि० रकबा 0.205 हे० स्थित मौजा बहरमापुर परगना व तहसील- बिल्हौर, जिला कानपुर देहात जिसका वर्णन वादपत्र के अन्त में अनुसूची अ में किया गया है के भूमिधर मालिक काबिज तथा दखील है। उक्त आराजी संख्या का रकबा वादीगण को जरिये पट्टा प्राप्त हुआ है, पट्टा के आधार पर वादीगण उक्त आराजी सं० के उक्त रकबा पर पट्टा के बाद से कृषि कार्य करके निरन्तर आज तक काबिज तथा मालिक होकर चले आ रहे हैं। उक्त आराजी सं०- 113 मि० रकबा 0.350 हे० है जिसमें से वादीगण को 0.2050 का पट्टा हुआ है तथा दखलनामा भी दिया गया है। वादीगण का नाम कागजात खतौनी तथा खसरा में अंकित है। जिससे वादीगण का पूर्ण मालिकाना हक पट्टा के बाद से आज तक वादीगण का साबित है। वादीगण ने उक्त पट्टावाली जमीन पर नाज जोख करा करके मेड़ बन्दी कराके उसको सुधार के उसका बंजर समाप्त रके उसमे कृषि कार्य करता है। वादीगण के अलावा किसी अन्य सख्स या संस्था का उक्त पट्टे वाली आराजी में कोई वास्ता या सरोकार पट्टा के बाद से नहीं है। विपक्षीगण का उक्त आराजी में कोई मालिकाना हक तथा कब्जा नहीं है न उनको पट्टा किया गया है वह हरिजन जाति के दबंग व्यक्ति है वह वादीगण की उक्त आराजी पर बिना किसी हक तथा

अधिकार के बाजबरिया कब्जा करके निर्माण करना चाहते हैं। वादीगण सीधे साधे सज्जन व्यक्ति हैं तथा कानून का पालन करने वाले व्यक्ति हैं। उनके सामने न्यायालय में आकर वाद प्रस्तुत करने के आलावा कोई विकल्प शेष नहीं रह गया है। दिनांक 25.2.2011 को उक्त विपक्षी सं0- 1 बिना किसी हक तथा अधिकार के वादीगण की पट्टावाली जमीन पर निर्माण करने पर बाजबरिया अमादा थे तथा वादीगण द्वारा विरोध करने पर उसको गाली देने लगे थे तब वादीगण ने दिनांक 26.2.2011 को श्रीमान हाकिम परगना बिल्हौर उपजिलाधिकारी बिल्हौर कानपुर नगर को प्रतिवादी के उक्त कार्य का प्रार्थना पत्र दिया जिस पर उनके द्वारा यह आदेश पारित किया गया कि क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक/एस 0 ओ0 शिवराजपुर कृपया अंकित तथ्यों की जाँच कर नियमानुसार आवश्यक कार्य करें यदि आवंटी की भूमि पर कोई अवैध निर्माण कर रहा है तो निर्माण कार्य रूकवा कर आख्या दे, उक्त आदेश का अनुपालन मौके पर कराया गया तो विपक्षी मान गये तथा निर्माण कार्य नहीं किया है। दिनांक 29.03.2011 को निर्माण विपक्षी कर रहे थे तब वादीगण थाना हाजा गया और दिनांक 8.04.2011 को उक्त कार्य की पुनरावृत्ति विपक्षी कर रहे थे तब वादीगण थाना हाजा गये और शिकायत की तथा दिनांक 28.04.2011 को उक्त विपक्षी गण ने एक राय होकर वादीगण की उक्त पट्टे वाली आराजी पर बाजबरिया कब्जा करके निर्माण कार्य करने का प्रयास किया लेकिन वादीगण द्वारा विरोध करने पर उक्त लोग सफल नहीं हो सके तथा मौका पाकर निर्माण करने की धमकी देकर चले गये इस प्रकार से वादीगण का केश पूर्ण रूप से साबित है। विपक्षीगण द्वारा उक्त यथास्थिति के आदेश दिनांक 05.05.2011 की जानकारी के बावजूद वादीगण की विवादित आराजी सं0- 113 मि0 रकबा 0.205 हे0 स्थित मौजा बहरमापुर परगना व तहसील- बिल्हौर, जिला कानपुर देहात पर बाजबरिया दिनांक 02.08.2011 को वादीगण की अनुपस्थिति में शक्ति तथा आतंक के बल पर अवैध तरीके से कब्जा करके विपक्षी सं0- 1 के द्वारा दो लकड़ी के खम्भे गाड़कर उस पर तिरपाल डाल लिया है तथा विपक्षी नं0 2 के द्वारा उक्त आराजी पर खूटा गाड़कर अपने जानवर बाधने लगे हैं तथा गोबर कुड़ा भी डालने लगे हैं तथा कब्जा कर लिया है जिसे वादीगण न्यायालय के आदेश से हटवाने का अधिकारी है। वाद का प्रथम दृष्टया कारण वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरुद्ध है तथा सुविधा का संतुलन भी वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरुद्ध है। दौरान मुकदमा प्रतिवादी सं0 1 लक्ष्मी नारायन का स्वर्गवाश दिनांक 12.06.2015 को हो गया है। जिसके विधिक उत्तराधिकारी उसकी पत्नी, पुत्र, पुत्रिया जिनको वादपत्र में प्रतिवादी सं0 1/1 लगायत 1/8 के रूप में बनाया गया है। जो प्रतिवादी सं0 1 के द्वारा किये गये कार्य व्यवहार के पूर्णरूप से उत्तरदायी है जिनके विरुद्ध वादीगण का वाद डिग्री किये जाने योग्य है। वाद का कारण सर्वप्रथम दिनांक 25.02.2011 को उत्पन्न हुआ पुनः दिनांक 29.03.2011 को तथा दिनांक 08.04.2011 को तथा अंतिम बार दिनांक 28.04.2011 को उत्पन्न होकर निरन्तर श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार के अधीन चला आ रहा है। वादीगण ने न्यायालय से याचना की है कि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिग्री इस आशय की पारित करें कि प्रतिवादीगण स्वयं, उनके परिजन, मित्र, नौकर, सहयोगी, एजेण्ट तथा नातेदार आदि सभी वादीगण की आराजी सं0 113 मि0 रकबा 0.205 हे0 स्थित मौजा बहरमापुर परगना व तहसील- बिल्हौर, जिला कानपुर नगर पर कोई कब्जा तथा निर्माण न करें, न वहाँ नींव खोदे न छप्पर आदि रखें तथा विवादित स्थल आराजी सं0 113 मि0 रकबा 0.205 हे0 स्थित मौजा बहरमापुर परगना व तहसील- बिल्हौर, जिला कानपुर नगर जो विपक्षी सं0- 1 व 2 द्वारा यथास्थिति आदेश दिनांकित 05.05.2011 की जानकारी के बावजूद अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। उसको न्यायालय द्वारा विपक्षीगण को हटाने का तथा वादीगण की कब्जे वाली भूमि को रिक्त करके उसका कब्जा वादीगण को दिये जाने का आदेश पारित करें।

वादीगण द्वारा दाखिल अपने वादपत्र के अन्त में अनुसूची "अ " में संपत्ति का वर्णन निम्न है :-

पूरब- अवधेश की आराजी सं0 187

पश्चिम- आराजी सं0 112

उत्तर- आराजी सं0 114 तथा 116

दक्षिण- आराजी सं0 197

प्रतिवादी सं0 1 लक्ष्मी नारायन द्वारा अपना जवाबदावा 25 क प्रस्तुत कर वादपत्र में अभिकथित तथ्यों से इंकार करते हुये यह कथन किया गया है कि प्रतिवादी करीब 45 वर्ष से उक्त भूमि पर मकान बनाकर अपने परिवार के साथ रह रहा है और आज कि तिथि पर भी प्रतिवादी उक्त भूमि पर काबिज व दाखिल है। वादीगण ने फर्जी तरीके से

भूतपूर्व ग्राम प्रधान से साँठ गाँठ करके उक्त आराजी सं० 113 मि० रकबा 0.205 हे० स्थित मौजा बहरमापुर परगना व तहसील- बिल्हौर, जिला कानपुर नगर पर पट्टा कराया है। प्रतिवादी एक गरीब हरिजन है और उक्त आराजी पर प्रतिवादी के अपने बुजुर्गों के समय से मकान बना हुआ है और वादीगण गाँव के सम्पन्न व्यक्ति है और इनके पास ग्राम बहरमापुर में कृषक भूमि है और इन लोगो ने भूतपूर्व प्रधान से साँठ गाँठ करके पट्टा करा लिया है और गाँव के तमाम व्यक्तियों का इसी आराजी 113 रकबा 0.205 हे० तहसील बिल्हौर जनपद कानपुर नगर का कमिश्नर महोदय के यहां मुकदमा नं०-35/2009 पट्टा कैन्सलेसन का वाद चल रहा है। प्रतिवादी दिनांक 25.2.2011 के उक्त आराजी पर कोई निर्माण नहीं करा रहा था प्रतिवादी का तो 45 वर्ष से उक्त आराजी पर मकान बना हुआ है। प्रतिवादी ने न्यायालय से याचना की है कि आराजी सं० 113 मि० रकबा 0.205 हेक्टेयर स्थिति मौजा बहरमापुर परगना व तहसील- बिल्हौर, जिला कानपुर नगर के प्रतिवादी नं० 1 को किसी भी प्रकार के निर्माण एवं मकान की मरम्मत और छप्पर आदि को रखने से न रोका जाये।

वादी द्वारा अपना जबाबुल जवाबदावा 35 क प्रस्तुत कर अपने वादपत्र में अभिकथित तथ्यों की पुष्टि करते हुये यह कथन किया गया है कि विपक्षीगण द्वारा यथास्थिति के आदेश दिनांकित 05.05.2011 की जानकारी होने के बावजूद वादीगण की विवादित आराजी सं० 113 मि० रकबा 0.205 हे० स्थित मौजा बहरमापुर परगना व तहसील- बिल्हौर, जिला कानपुर नगर पर बाजबरिया वादीगण की अनुपस्थिति में शक्ति तथा आतंक के बल पर अवैध तरीके से कब्जा करके विपक्षी सं० 1 के द्वारा दो लकड़ी के खम्भे गाड़कर उस पर तिरपाल डाल लिया है तथा विपक्षी सं० 2 के द्वारा उक्त आराजी पर खूटां गाड़ करके अपने जानवर बाँधने लगे है तथा गोबर, कूड़ा भी डालने लगे है तथा कब्जा कर लिया है। जिसका अवमानना वाद सं० 55/74/2011 न्यायालय श्रीमान सिविल जज जू० डि० कानपुर देहात के यहां रामनारायन बनाम लक्ष्मी नारायन आदि के उन्मान से विचाराधीन है। विपक्षी सं० 1 का पुश्तैनी मकान वादीगण के साथ गांव के अन्य लोगो को भी पट्टे भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा किये गये थे तथा पट्टा के बाद पट्टेदारों को कब्जा तथा दखल दिया गया है सभी पट्टेदारों का नाम खतौनी में अंकित है। विपक्षी सं० 1 का पुश्तैनी मकान गाँव की आबादी मे है। जिसमें वह सपरिवार निवास करता है। पट्टा निरस्तीकरण का वाद न्यायालय ए० डी० जे० एल० ए० कानपुर नगर के यहाँ से निरस्त किया जा चुका है तथा माननीय अपर आयुक्त प्रशासन कानपुर मण्डल कानपुर द्वारा पट्टे को बहाल किया जा चुका है। विपक्षी द्वारा नया निर्माण विवादित स्थल पर किया गया है। विवादित स्थल पर बना मकान विपक्षीगण का हरगिज 45 वर्ष पुराना नहीं है। चौहद्दी विपक्षी द्वारा गलत जवाबदावा में विवादित स्थल दी गयी है। वादीगण पुनः अपने वादपत्र की चौहद्दी का समर्थन करता है। दावा वादीगण सव्यय डिक्री किया जाना जायज एवं न्याय संगत है, दावा सव्यय डिक्री किया जाय।

न्यायालय द्वारा दिनांक 09.01.2012 को प्रतिवादी सं० 2 व 3 के जवाबदावा का अवसर समाप्त करते हुये उनके विरुद्ध वाद की कार्यवाही एकपक्षीय रूप से अग्रसारित की गयी है।

पत्रावली पर उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर दिनांक 09.01.2012 को निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये गये।

1. क्या वादीगण वादग्रस्त संपत्ति के स्वामी व अध्यासी है ?
2. क्या दावा वादीगण अल्प मूल्यांकित है?
3. क्या वादीगण द्वारा प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है?
4. क्या वादीगण अन्य किसी अनुतोष को प्राप्त करने के अधिकारी है ?

प्रश्नगत संपत्ति के संबंध में पत्रावली पर दाखिल अधिवक्ता आयुक्त की आख्या कागज सं० 67 ग मय नक्शा नजरी 67 ग/3 आदेश दिनांकित 01.11.2013 के द्वारा साक्ष्य के अधीन पुष्ट की गयी है।

साक्ष्य

वादीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सूची 8 ग से 9 ग एक किता पट्टानामा आराजी सं० 113 मि० मौजा बहरमापुर, कानपुर नगर की छायाप्रति, 10 ग एक किता दखलनामा आराजी सं० 113 मि० मौजा बहरमापुर, कानपुर नगर की छायाप्रति, 11 ग एक किता खतौनी फसली वर्ष - 1413-1418, आराजी सं० 113 मि० मौजा बहरमापुर, कानपुर नगर की मूल प्रतिलिपि, 12 ग एक किता खसरा सन् 1418 आराजी सं० 113 मौजा बहरमापुर,

कानपुर नगर की सत्यापित प्रतिलिपि, 13 ग राशनकार्ड रामनारायन की छायाप्रति, 14 ग निर्वाचन कार्ड रामनारायन की छायाप्रति, 15 ग शिकायती प्रार्थना पत्र एस 0 डी0 ओ0 बिल्हौर दिनांकित 26.02.2011 की छायाप्रति, 16 ग शिकायती प्रार्थना पत्र थाना शिवराजपुर कानपुर नगर दिनांकित 29.08.2011 की छायाप्रति, 17 ग शिकायती प्रार्थना पत्र थाना शिवराजपुर कानपुर नगर दिनांकित 08.04.2011 की छायाप्रति, सूची 37 ग से 38 ग एक किता नकल खाता सं0 112 मौजा बहरमापुर कानपुर नगर की सत्यप्रति, 39 ग एक किता नकल नक्शा आराजी मौजा बहरमापुर कानपुर नगर की सत्यप्रति, 40 ग एक किता नकल आदेश दिनांकित 02.02.2012 न्यायालय अपर आयुक्त, कानपुर मण्डल, कानपुर की मूलप्रति, सूची 47 ग से 48 ग एक किता खतौनी फसली वर्ष-1413-1418 खाता सं0 0158 बनाम विजय कुमार पुत्र गेंदनलाल मौजा बहरमापुर, बिल्हौर, कानपुर नगर की सत्यापित प्रतिलिपि, 49 ग एक किता खतौनी फसली वर्ष-1413-1418 खाता सं0 0156 बनाम लक्ष्मी नारायन पुत्र ईश्वरदीन मौजा बहरमापुर, बिल्हौर, कानपुर नगर की सत्यापित प्रतिलिपि, 50 ग एक किता खतौनी फसली वर्ष-1413-1418 खाता सं0 0130 बनाम दीवारी लाल पुत्र विजय एवं सरस्वती पुत्र दिवारीलाल मौजा बहरमापुर, बिल्हौर, कानपुर नगर की सत्यापित प्रतिलिपि, 51 ग एक किता बैनामा दिनांकित 24.09.2001 श्रीमती सुरजाना देवी पत्नी ईश्वरी कोरी निवासी बहरमापुर गाटा सं 0 97 मि0 की सत्यापित प्रतिलिपि, 52 ग एक किता खतौनी फसली वर्ष 1413-1418 गाटा सं0 97 मि0 बहक मनीराम की सत्यापित प्रतिलिपि, सूची 56 ग से 57 ग एक किता टेंण्डर जमा धन दिनांक 22.09.2012 की मूलप्रति, सूची 81 ग से 82 ग 2 किता रंगीन फोटो विवादित स्थल ग्राम बहरमापुर, तहसील बिल्हौर, कानपुर नगर, सूची 94 ग से 95 ग पांच किता रंगीन फोटो विवादित स्थल ग्राम बहरमापुर, तहसील बिल्हौर, कानपुर नगर, सूची 151 ग से 152 ग एक किता प्रार्थना पत्र दिनांकित 31.12.2016 द्वारा राम नारायन, श्रीमान उपजिलाधिकारी बिल्हौर कानपुर नगर मय आदेश दिनांकित 31.12.2016 की छायाप्रति, सूची 193 ग/1 से 193 ग/2 एक किता खतौनी खाता सं0 00164 आराजी सं0 113 मि0 स्थित मौजा बहरमापुर, तहसील बिल्हौर, कानपुर नगर बनाम राम नारायन आदि की सत्यापित प्रतिलिपि, दाखिल किया गया है।

वादी राम नारायन द्वारा अपने अभिकथनों के समर्थन में स्वयं का साक्ष्य शपथपत्र पी 0 डब्लू0- 01 कागज सं0 80 क , साक्ष्य शपथ पत्र पी0 डब्लू0- 02 उदय नारायन अग्रिहोत्री, उम्र करीब 59 वर्ष वयस्क पुत्र स्व 0 गणेश प्रसाद, निवासी-ग्राम बहरमापुर, पोस्ट- शिवराजपुर, परगना व तहसील- बिल्हौर, कानपुर नगर कागज सं0 100 क, साक्ष्य शपथ पत्र पी0 डब्लू0- 03 कृष्ण माधव उम्र करीब 75 वर्ष वयस्क पुत्र स्व 0 मेवा लाल अग्रिहोत्री, निवासी-ग्राम बहरमापुर, पोस्ट- शिवराजपुर, परगना व तहसील- बिल्हौर, कानपुर नगर सं0 101 क, के रूप में प्रस्तुत किया है।

प्रतिवादी सं0 1 लक्ष्मी नारायन पुत्र श्री ईश्वरी उम्र 50 वर्ष द्वारा अपने अभिकथनों के समर्थन में स्वयं का साक्ष्य शपथपत्र डी0 डब्लू01 कागज सं0 113 क , साक्ष्य शपथ पत्र डी0 डब्लू0- 02 प्रेम नारायन पाल वयस्क पुत्र मिडू उम्र 58 वर्ष निवासी-ग्राम-बहरमापुर, थाना- शिवराजपुर, कानपुर नगर, कागज सं0 118 क, साक्ष्य शपथ पत्र डी0 डब्लू0- 03 रामदास उम्र 70 साल वयस्क पुत्र श्यामलाल निवासी-बहरमापुर, थाना- शिवराजपुर, कानपुर नगर, सं0 119 क, के रूप में प्रस्तुत किया है।

विवेचना एवं निष्कर्ष

विधि का सिद्धान्त है कि वादीगण को अपना वाद स्वयं साबित करना है। वह प्रतिवादीगण की कमजोरी का लाभ नहीं ले सकता।

प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति के कारण उसको बहस पर नहीं सुना गया है तथा न्यायालय द्वारा वादीगण को मौखिक बहस पर सुना गया तथा वादीगण द्वारा लिखित बहस भी दाखिल की गयी है तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

निस्तारण वाद बिन्दु सं0- 02

वाद बिन्दु सं02 इस आशय का विरचित हुआ है कि क्या दावा वादीगण अल्पमूल्यांकित है ?

वाद बिन्दु सं0 2 वाद के मूल्यांकन से संबंधित है। इस वाद बिन्दु का निस्तारण पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 09.01.2012 को किया जा चुका है। आदेश दिनांकित 09.01.2012 इस निर्णय का अंश होगा।

निस्तारण वाद बिन्दु सं0- 03

वाद बिन्दु सं0 3 इस आशय का विरचित हुआ है कि क्या वादीगण द्वारा प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है?

वाद बिन्दु सं0 3 वाद के न्यायशुल्क से संबंधित है। इस वाद बिन्दु का निस्तारण पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 09.01.2012 को किया जा चुका है। आदेश दिनांकित 09.01.2012 इस निर्णय का अंश होगा।

निस्तारण वाद बिन्दु सं0- 01

वाद बिन्दु सं0 1 इस आशय का विरचित हुआ है कि क्या वादीगण वादग्रस्त संपत्ति के स्वामी व अध्यासी है?

इस संबंध में वादीगण ने अपने मूल वादपत्र में कथन किया है कि वादीगण भूमिधरी आराजी सं 0- 113 मि0 रकबा 0.205 हे0 स्थित मौजा बहरमापुर परगना व तहसील – बिल्हौर, जिला कानपुर देहात जिसका वर्णन वादपत्र के अन्त में अनुसूची "अ" में किया गया है के भूमिधर मालिक काबिज तथा दखील है। उक्त आराजी सं 0- 113 मि0 रकबा 0.350 हे0 है जिसमें से वादीगण को 0.2050 हे0 का पट्टा हुआ है तथा दखलनामा भी दिया गया है। वादीगण का नाम कागजात खतौनी तथा खसरा में अंकित है। जिससे वादीगण का पूर्ण मालिकाना हक पट्टा के बाद से आज तक वादीगण का साबित है। वादीगण ने उक्त पट्टावाली जमीन पर नाज जोख करा करके मेड़ बन्दी कराके उसको सुधार के उसका बंजर समाप्त रके उसमे कृषि कार्य करता है। वादीगण की विवादित आराजी सं 0 113 मि0 रकबा 0.205 हे0 स्थित मौजा बहरमापुर परगना व तहसील – बिल्हौर, जिला कानपुर देहात पर बाजबरिया दिनांक 02.08.2011 को वादीगण की अनुपस्थिति में शक्ति तथा आतंक के बल पर अवैध तरीके से कब्जा करके विपक्षी सं0 1 के द्वारा दो लकड़ी के खम्भे गाडकर उस पर तिरपाल डाल लिया है तथा विपक्षी नं0 2 के द्वारा उक्त आराजी पर खूटा गाडकर अपने जानवर बाधने लगे है तथा गोबर कुडा भी डालने लगे है तथा कब्जा कर लिया है। वादीगण ने न्यायालय से याचना की है कि वादीगण के पक्ष मे प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय की पारित करें कि प्रतिवादीगण स्वयं , उनके परिजन, मित्र, नौकर, सहयोगी, एजेण्ट तथा नातेदार आदि सभी वादीगण की आराजी सं 0 113 मि0 रकबा 0.205 हे0 स्थित मौजा बहरमापुर परगना व तहसील – बिल्हौर, जिला कानपुर नगर पर कोई कब्जा तथा निर्माण न करें, न वहाँ नींव खोदे न छप्पर आदि रखें तथा विवादित स्थल आराजी सं0 113 मि0 रकबा 0.205 हे0 स्थित मौजा बहरमापुर परगना व तहसील – बिल्हौर, जिला कानपुर नगर जो विपक्षी सं 0 1 व 2 द्वारा यथास्थिति आदेश दिनांकित 05.05.2011 की जानकारी के बावजूद अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। उसको न्यायालय द्वारा विपक्षीगण को हटाने का तथावादीगणकी कब्जे वाली भूमि को रिक्त करके उसका कब्जा वादीगण को दिये जाने का आदेश पारित करें।

जबकि प्रतिवादी सं0 1 ने अपना जवाबदावा 25 क प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रतिवादी करीब 45 वर्ष से उक्त भूमि पर मकान बनाकर अपने परिवार के साथ रह रहा है और आज कि तिथि पर भी प्रतिवादी उक्त भूमि पर काबिज व दाखिल है। वादीगण ने फर्जी तरीके से भूतपूर्व ग्राम प्रधान से साँठ-गाँठ करके उक्त आराजी सं0 113 मि0 रकबा 0.205 हे0 स्थित मौजा बहरमापुर परगना व तहसील – बिल्हौर, जिला कानपुर नगर पर पट्टा कराया है। उक्त आराजी पर प्रतिवादी के अपने बुजुर्गों के समय से मकान बना हुआ है प्रतिवादी ने न्यायालय से याचना की है कि आराजी सं 0 113 मि0 रकबा 0.205 हेक्टेयर स्थिति मौजा बहरमापुर परगना व तहसील – बिल्हौर, जिला कानपुर नगर के प्रतिवादी नं0 1 को किसी भी प्रकार के निर्माण एवं मकान की मरम्मत और छप्पर आदि को रखने से न रोका जाये। जिस पर वादीगण ने अपना जवाबुल जवाब 35 क प्रस्तुत कर कथन किया है कि विपक्षी सं0 1 का पुश्तैनी मकान वादीगण के साथ गांव के अन्य लोगो को भी पट्टे भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा किये गये थे तथा पट्टा के बाद पट्टेदारों को कब्जा तथा दखल दिया गया है सभी पट्टेदारों का नाम खतौनी में

अंकित है। विपक्षी सं० 1 का पुश्तैनी मकान गाँव की आबादी में है। जिसमें वह सपरिवार निवास करता है। पट्टा निरस्तीकरण का वाद न्यायालय ए० डी० जे० एल० ए० कानपुर नगर के यहाँ से निरस्त किया जा चुका है तथा माननीय अपर आयुक्त प्रशासन कानपुर मण्डल कानपुर द्वारा पट्टे को बहाल किया जा चुका है। विपक्षी द्वारा नया निर्माण विवादित स्थल पर किया गया है। विवादित स्थल पर बना मकान विपक्षीगण का हरगिज 45 वर्ष पुराना नहीं है। चौहद्दी विपक्षी द्वारा गलत जवाबदावा में विवादित स्थल दी गयी है।

विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि वादीगण को अपना दावा स्वयं सिद्ध करना होता है वह प्रतिवादीगण की किसी कमजोरी का लाभ नहीं प्राप्त कर सकता है। वादीगण ने अपने वाद अभिवचनों के द्वारा अपना स्वयं को पट्टे के माध्यम से आराजी सं० 113 मि० में से 0.2050 हे० रकबे पर मालिक व काबिज होने का कथन किया है तथा अपने इस कथन के संबंध में उसके द्वारा पत्रावली पर कागज सं० 09 ग पट्टा जमीनदारी विनाश आकार पत्र 58 छायाप्रति तथा दखलनामा के संबंध में कागज सं० 10 ग की छायाप्रति दाखिल की गयी है तथा उसके द्वारा उद्धरण खतौनी कागज सं० 11 ग तथा इंतखाब खसरा कागज सं० 12 ग भी पत्रावली पर दाखिल किया गया है। वादीगण द्वारा दाखिल पट्टा जमीनदारी विनाश आकार पत्र 58 कागज सं०-09 ग तथा दखलनामा के संबंध में कागज सं० 10 ग दोनो छायाप्रतियां होने के कारण साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। वादीगण द्वारा दाखिल उद्धरण खतौनी कागज सं० 11 ग जिसमें राम नारायण व नारायणी नाम का असंक्रमणीय भूमिधर होने का इन्द्राज है। राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज होने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपनी विधि व्यवस्थाओं में यह मत प्रकट किया गया है कि राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज भूमि पर न तो अधिकार उत्पन्न करता है न ही समाप्त करता है परन्तु राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज केवल राजकोषीय उद्देश्य के लिये प्रासंगिक है अर्थात् इस इन्द्राज का मतलब है कि जिस व्यक्ति का नाम राजस्व अभिलेख में संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है वह भू-राजस्व अदा करेगा। फिर भी वादीगण द्वारा दाखिल उद्धरण खतौनी कागज सं० 11 ग के आधार पर वादीगण को इस संपत्ति का स्वामी तो माना जा सकता है लेकिन जहां तक काबिज होने का प्रश्न है तो वादीगण ने अपने वादपत्र के प्रस्तर सं० 1 में अभिकथन किया है कि वादीगण भूमिधरी आराजी सं०- 113 रकबा 0.2050 हे० स्थित मौजा बहरमापुर परगना व तहसील बिल्हौर जिला कानपुर जिसका वर्णन वादपत्र के अन्त में अनुसूची "अ " में किया गया है के भूमिधर मालिक काबिज तथा दखील है तथा वादीगण द्वारा दाखिल अपने वादपत्र के अन्त में अनुसूची "अ " में संपत्ति का वर्णन निम्न है :-

पूरब- अवधेश की आराजी सं० 187

पश्चिम- आराजी सं० 112

उत्तर- आराजी सं० 114 तथा 116

दक्षिण- आराजी सं० 197

लेकिन यहां यह उल्लेखनीय है कि वादी द्वारा प्रश्नगत संपत्ति के संबंध को अपने वादपत्र में नक्शा स्केली आदि से दर्शित नहीं किया गया है तथा वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के प्रस्तर सं० 2 में उक्त आराजी संख्या का रकबा 0.2050 हे० वादीगण को जरिये पट्टा प्राप्त होने एवं पट्टे के आधार पर मालिक व काबिज होने का कथन किया है। वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के प्रस्तर संख्या 4 में स्वयं यह अभिकथन किया गया है कि आराजी सं० 113 मि० का संपूर्ण रकबा 0.350 हे० है तथा वादीगण को 0.2050 हे० का पट्टा हुआ है। एक ओर तो वादीगण अपने को आराजी सं० 113 मि० के रकबे 0.2050 हे० पर मालिक व दखील बताता है तथा वही दूसरी ओर वह प्रस्तर सं० 1 में किये गये अपने अभिवचन व अनुसूची अ में दिये गये संपत्ति के विवरण से पूरे आराजी 113 के कुल रकबे पर अपने को मालिक व काबिज दर्शित कर रहा है। जबकि चूंकि आराजी सं० 113 मि० नम्बर है तथा वादीगण के वादपत्र के प्रस्तर सं० 4 के कथनानुसार आराजी सं० 113 मि० का कुल रकबा 0.350 हे० है तथा वादीगण को इस मिनजुमला आराजी सं० 113 में रकबा 0.2050 हे० का पट्टा हुआ है तो इस प्रकार तो स्वाभाविक तौर पर यह स्पष्ट है कि वादीगण को पट्टे से प्राप्त इस भूमि की चारों सीमाओं में से कम से कम एक सीमा शेष भूमि आराजी 113 मि० होना चाहिये। लेकिन उपरोक्त अभिकथित चारों सीमाओं में से एक भी सीमा शेष भूमि आराजी 113 मि० दर्शित नहीं है जिससे यही माना जायेगा कि वादीगण स्वयं को कुल आराजी 113 मि० पर काबिज होने का कथन कर रहा है जिससे प्रश्नगत संपत्ति के संबंध में उसके द्वारा उसके अभिवचन स्वयं ही अस्पष्ट है तथा प्रश्नगत संपत्ति पर

किसी विशिष्ट स्थान पर काबिज होने के संबंध में गम्भीर संदेह उत्पन्न करते हैं। यहां भी यह विशेष तौर पर उल्लेखनीय है कि वादीगण द्वारा पत्रावली पर न तो मूल पट्टा दाखिल किया गया है न ही मूल पट्टे की सत्यापित व प्रमाणित प्रतिलिपि ही दाखिल की गयी है तथा न ही भूमि आवंटन के संबंध में राजस्व अभिलेखों में प्रस्तावित भूमि आवंटन पत्रावली का ही कोई प्रमाणित अभिलेखीय दस्तावेज ही पत्रावली पर दाखिल किया गया है। वादीगण द्वारा पत्रावली पर कागज सं०-9 ग पट्टा जमीनदारी विनाश आकार पत्र 58 छायाप्रति तथा दखलनामा के संबंध में कागज सं० - 10 ग की छायाप्रति दाखिल की गयी है जो कि छायाप्रतियां होने के कारण साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। फिर भी इनके अवलोकन से भी यह स्पष्ट है कि इस छायाप्रति पट्टानामा कागज सं० 9 ग में भी पट्टा की गयी भूमि की सीमायें दर्शित नहीं हैं और न ही इस छायाप्रति दखलनामा कागज सं० 10 ग में ही पट्टा की गयी भूमि की सीमायें दर्शित हैं। पत्रावली पर दाखिल कमीशन आख्या कागज सं० 67 ग मय नक्शा नजरी 67 ग/3 से भी साक्ष्य के आधार पर प्रश्नगत संपत्ति पर कब्जे के संबंध में वादपत्र में वर्णित वादीगण के अभिवचनों का समर्थन नहीं करती है। वादी के कथनानुसार तथाकथित पट्टा उसको आराजी सं० 113 मिनजुमला कुल रकबा 0.350 हे० में से रकबा 0.2050 हे० पर हुआ है। चूंकि आराजी सं० 113 एक मिनजुमला आराजी संख्या है। उत्तर प्रदेश भूमि लेख नियमावली के नियम क-64 में संघटक संख्याए (मिनजुमला नम्बर) को परिभाषित किया गया है जो निम्नवत है:-

"क-64- संघटक संख्याए मिनजुमला नम्बर (-):-

1). लेखों के पुनरीक्षण या चकबन्दी के बाद अपना पहला खसरा तैयार करते समय लेखपाल वर्ण क,ख,ग,इत्यादि को जो बन्दोबस्त या चकबन्दी के पुनरीक्षित खसरे में , जैसा भी दशा हो, संघटक संख्याओं (मिनजुमला नम्बरों) के साथ पहचान के लिए लगा दिये गये थे, निकाल देना। संघटक संख्याओं (मिनजुमला नम्बरों) से तात्पर्य किसी खेत के ऐसे टुकड़ों की संख्याओं से है जो केवल कागज पर व्यक्त किये जाते हैं और खेत में मेड़ डालकर नहीं किये जाते हैं। अपनी पड़ताल के समय मालुम किये गये तथ्यों का उल्लेख करने के लिए लेखपाल पूरे खेत को एक ही खेत मानेगा।"

2). यही कार्यवाही ऐसे खेत के सम्बन्ध में भी जायेगी जिसके टुकड़े यद्यपि भूमि पर मेड़ डालकर न किये गये हो , फिर भी उसमें विभिन्न वर्ग के भौमिक अधिकारों वाली भूमियां या विभिन्न वर्ग की आकृषित भूमियों के भाग सम्मिलित हो।"

"माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की विधि व्यवस्था हबीब बुल्लाह बनाम मोहम्मद यासीन तथा अन्य , 1995(13)LCD1073(All) or 1995RD25(hindi)(All) में भी यह उल्लेखित किया गया है कि - "उत्तर प्रदेश भूमि लेख नियमावली नियम-क-64 के प्राविधान से स्पष्ट है कि संघटक संख्याओं मिनजुमला नम्बरों का कोई चिन्ह मौके पर या सजरा नक्शा में नहीं बनाया जाता है मौके पर मिनजुमला नम्बरों का कोई बँटवारा नहीं होता है।" पत्रावली पर वादीगण द्वारा राजस्व अभिलेखों में प्रस्तावित भूमि अभिलेख आवंटन पत्रावली के संबंध में कोई भी प्रमाणित अभिलेखीय दस्तावेज मय नक्शा नजरी भी दाखिल नहीं किया गया है जिससे कि यह स्पष्ट हो सके कि वादीगण को इस तथाकथित पट्टानामा के आधार पर आराजी सं० 113 मि० में किस विशिष्ट स्थान पर कब्जा व दखल कराया गया है।

अतः उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये वादीगण को मिनजुमला आराजी सं० - 113 के संबंध में दाखिल इंतखाब खसरा कागज सं० -12 ग, जिसमें भूमि की श्रेणी परती के रूप में दर्ज है , के आधार पर इस मिनजुमला आराजी सं०- 113 के किसी विशिष्ट स्थान पर काबिज माने जाने का कोई विधिक आधार पर्याप्त नहीं है। अतः न्यायालय के मत में वादीगण द्वारा दाखिल प्रपत्र खतौनीकागज सं० 11 ग के आधार पर वादीगण को आराजी संख्या 113 मि० के कुल रकबे में से 0.2050 हे० रकबे का स्वामी तो माना जा सकता है लेकिन उसको मिनजुमला आराजी सं० 113 में किसी विशिष्ट स्थान पर काबिज नहीं माना जा सकता है। अतः वादबिन्दु सं० 1 स्वामी होने के संबंध में आंशिक तौर पर वादीगण के पक्ष में तथा काबिज होने के संबंध में वादीगण के विरुद्ध निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण वादबिन्दु सं० -4

वाद बिन्दु सं० 4 इस आशय का विरचित हुआ है कि क्या वादीगण अन्य किसी अनुतोष को प्राप्त करने के अधिकारी है ?

वाद बिन्दु सं० 1- क्या वादीगण वादग्रस्त संपत्ति के स्वामी व अध्यासी है में की गयी विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर वादीगण को प्रश्नगत आराजी पर स्वामी होने के संबंध में आंशिक तौर पर वादीगण के पक्ष में तथा काबिज होने के संबंध में वादीगण के विरुद्ध निर्णीत किया जाता है। उपरोक्त वाद बिन्दु सं० 1 के निस्तारण में की गयी विवेचना एवं निष्कर्ष में वादीगण को प्रश्नगत संपत्ति का आंशिक तौर पर मालिक तो माना गया है परन्तु काबिज होना नहीं माना गया है तथा वाद बिन्दु सं० 1 के निस्तारण में भी यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रश्नगत संपत्ति आराजी सं०-113 मिनजुमला में स्थित होने के कारण विशिष्ट पहचान भी सुनिश्चित नहीं है। यह विधि का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी स्थायी निषेधाज्ञा के वाद में स्थायी निषेधाज्ञा का व्यादेश प्राप्त करने हेतु प्रश्नगत संपत्ति की विशिष्ट पहचान आवश्यक है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा “Smt. Phoolmati devi vs. Manik Lal, 2005(2) AWC 1823 (All LB) में यह प्रतिपादित किया गया है कि- “where the property in dispute is not identifiable then injunction should not be granted by the court.”.

अतः उपरोक्त विधि व्यवस्था से भी यह स्पष्ट है कि स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु संपत्ति की विशिष्ट पहचान सुनिश्चित होनी चाहिये तथा विशिष्ट पहचान सुनिश्चित न होने के कारण स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष न्यायालय द्वारा प्रदान नहीं किया जा सकता है। अतः वादीगण को प्रश्नगत संपत्ति का मिनजुमला आराजी सं०-113 में वादीगण की प्रश्नगत संपत्ति रकबा 0.2050 हे० पर किसी विशिष्ट स्थान पर काबिज न होने के कारण तथा प्रश्नगत संपत्ति की विशिष्ट पहचान सुनिश्चित न होने के कारण वादीगण न तो चाहा गया अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है न ही किसी अन्य अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः वादबिन्दु सं० 4 वादीगण के विरुद्ध नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्ष से स्पष्ट है कि वादीगण पूर्णरूप से अपना वाद सिद्ध करने में असफल रहा है। अतः वादीगण प्रश्नगत संपत्ति के संबंध में प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः वादीगण का वाद सव्यय निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

वादीगण का वाद सव्यय निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक-14.02.2020

श्री भगत सिंह
सिविल जज (सी० डि०)/फास्ट ट्रैक कोर्ट,
कानपुर देहात
UP 2118

आज यह निर्णय व आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

दिनांक-14.02.2020

श्री भगत सिंह
सिविल जज (सी० डि०)/फास्ट ट्रैक कोर्ट,
कानपुर देहात
UP 2118